

पत्रांक:- 1031/76याता0 (क)-उ0/2017

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

- | | |
|--|--|
| (1) मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0
देहरादून/टिहरी/पौड़ी/हल्द्वानी/
अल्मोड़ा/पिथौरागढ़। | (2) मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0,
हल्द्वानी/देहरादून। |
| (3) रीजनल ऑफिसर
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
58/37 बलबीर रोड डालनवाला,
देहरादून। | (4) कमाण्डेन्ट,
सीमा सडक संगठन,
प्रोजेक्ट शिवालिक,
आईडीपीएल वीरभद्र ऋषिकेश। |
| (5) मुख्य अभियन्ता स्तर- II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
देहरादून/अल्मोड़ा। | (6) मुख्य अभियन्ता
यू0एस0आर0आई0पी0/ए0डी0बी0,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून। |
| (7) मुख्य अभियन्ता
ए0डी0बी0 /आपदा, U.E.A.P.
आई0आई0टी0पार्क, देहरादून। | (8) मुख्य अभियन्ता
विश्व बैंक, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून। |

विषय :- मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सडक सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में मार्गों को दुर्घटना रहित बनाये जाने हेतु निर्धारित कार्ययोजना।

महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सडक सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में मार्गों को दुर्घटना रहित बनाये जाने हेतु निर्धारित कार्ययोजना (Activity 1 से 12) के अन्तर्गत रु0 10.00 Cr. से अधिक के परियोजनाओं में Road Safety Audit कराये जाने हैं, जिस हेतु इस कार्यालय के (1). पत्रांक-628/76 याता (क)-उ0/2016 दिनांक 19 नवम्बर, 2016 (2). पत्रांक-96/76 याता (क)-उ0/2017 दिनांक 16 मार्च, 2017, (3). अर्द्धशा0 पत्रांक-200/76 याता (क)-उ0/2017 दिनांक 05 जून, 2017, (4). पत्रांक-424/76 याता (क)-उ0/2017 दिनांक 28 जुलाई, 2017, (5). पत्रांक-778/76 याता (क)-उ0/2017 दिनांक 04 अक्टूबर 2017, द्वारा बार-बार निर्देशित किये जाने के बावजूद आपके द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं किये जाने के कारण मा0 सर्वोच्च न्यायालय को आख्या प्रेषित नहीं किया जा सका, उपरोक्त स्थिति में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिनांक 19.12.2017 को Video Conferencing के दौरान विभाग को विषम स्थिति का सामना करना पड़ा। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।

अतः रु0 10.00 Cr से अधिक की परियोजनाओं हेतु Safety Audit सम्बन्धित विवरण संलग्न Activity No.- 3 प्रपत्र पर तत्काल प्रेषित किया जाय।

इसी प्रकार मार्गों को दुर्घटना रहित बनाये जाने के उद्देश्य से मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सडक सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में राज्य के ^{N.H., N.H.A.I.} S.H., M.D.R., O.D.R. के प्रत्येक दुर्घटना सम्भावित स्थलों का चिन्हिकरण एवं सुधारीकरण हेतु Road Safety Auditor द्वारा Safety Auditing कराया जाना है, जिस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक-778/76 याता (क)-उ0/2017 दिनांक 04.10.2017 के सापेक्ष अनुपालन आख्या अभी तक अपेक्षित है, जिस हेतु संलग्न Activity 2(i) एवं Activity 2(ii) के प्रपत्र पर आख्या प्रेषित किया जाना है, कृपया तदसम्बन्धित कार्यालय का कार्यालय ज्ञाप संख्या- 784/76 याता (क)-उ0/2017 दिनांक 04.10.2017 का भी सन्दर्भ ग्रहण करें।

अतः तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-

उपरोक्त Activity 1 to 12

भवदीय

(आर०सी०पुरोहित)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि०वि०/रा०मा०/ए०डी०बी०/USRIP/UEAP/UDRP/PMGSY.....
को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- नोडल अधिकारी (रोड सेफ्टी)/अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त लो०नि०वि०, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 6- आई०टी० सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड देहरादून को
pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

23/12
[Signature]